IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT : JABALPUR.

M.Cr.C.No. 6941 of 1995.

Applicant : State of Madhya Pradesh

Vs. Single Bench (Criminal)

Respondents: Gyan Prakash Mishra, Son of Chhutan Mish aged 28 years, resident of Steel Nagar Camp-1, Bhilai, District DURG.

APPLICATION UNDER SEC.438(2) Cr.P.C.FOR CANCELLATION OF BAIL GRANTED TO THE APPLICANT BY THIS HON'BLE COURTS ON 17.8.95 IN M.Cr.C.No.2082/95.

The applicant begs to submit as under :-

1. That the respondent was arrested on 13.10.91 the allegation that he was involved in murder of labour leader by name Guha Niyogi on or about 28.1.91.

2. That the respondent's involvement is not only in the conspiracy but in the offence itself as he accompanied the main co-accused Paltan Mallah, who actually committed the murder to the spot as is to be gathered from the statement of Keshnath.

3. That there is evidence of Ravindra Kumar, the driver who took the party to Kathmandu, has disclosed that after procuring arms, another co-accused Chandra Kant Saha had stated that with such a fine and sofisticated gun there will be no difficulty in eliminating Niyogi and the respondent had assurned him that the work would be done.

4. That there is evidence to suggest that the respondent was instrumental in arranging for murder, xxxx hiring men for the purpose and arranging money and ammunition.

5. That this was the forth application, three applications were rejected by the Hon'ble Court.

6. That the C.B.I., New Delhi is prosecuting Niyogi murder case and the State of M.P. has nothing to do in this case.

7. That in all previous bail applications the C.B.I. was heard and their xxxxxx counsel appeared and had opposed the bail.

..2/-

1268
-9-95
A-Pandya
Advocate
R to D.F.

8. Thatx when the bail was granted the C.B.I. had no notice of the date nor was it heard.

9. That this xxx fact was also known to the respondent's counsel and in all fairness he should have informed the Hon'ble Court as the Panel lawyer who was there to represent the State Govt. did not know this fact that the prosecuting agency was B.C.B.I. and not the State Govt.

10. That the Panel lawyer had no authority to appear on behalf of the C.B.I.

11. That the prosecuting agency i.e.C.B.I. was not given an opportunity to oppose before granting bail to the applicant.

12. That the bail has been granted on the ground that there is inordinate delay in trial and the reluctantcex on the part of the prosecution to examine its material witness to connect the present respondent with the offence.

13. That it is respectfully submitted that the delay in trial is not on account of the prosecution but because of the applx respondent and the co-accused. The applicant respondent and the co-accused are not co-operating with the prosecution.

14. That if the C.B.I.was heard before granting bail they would have pointed out that the delay is on account of the respondent and other co-accused.

P R A Y E R.

It is, therefore, prayed that the Hon'ble Court be pleased to cancel the bail granted to the respondent on 17.8.95 in M.Cr.C.No.2085/95 as the prosecuting agency was not heard.

Jabalpur :
Dt.1.9.95.

COUNSEL FOR APPLICANT.

B.A. No. 332/91

(67)

आवेदक चन्द्रकांत शाह आ० श्री [illegible] भाई शाह द्वारा श्री [illegible] प्रताप अग्रवाल अधि०
राज्य द्वारा श्री यू.पी. दानी [illegible] शासकीय अभिभाषक ।

धारा 438 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रस्तुत जमानत आवेदन पर विचार किया गया ।

केस डायरी का अवलोकन किया गया ।

केस डायरी के अवलोकन से यह प्रगट होता है कि आवेदक चन्द्रकांत शाह एवं सह अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 302 सह धारा 120 बी भारतीय दंड संहिता के तहत एवं सह धारा 25 एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है । केस डायरी से यह प्रगट होता है कि मृतक शंकर गुहा नियोगी मजदूर नेता की हत्या दिनांक 20-[illegible]-91 की रात्रि के समय जब अपने कमरे में सो रहा था तो कमरे के खिड़की से गोली मारकर कर दी गई एवं हत्या उपरान्त हमलावर फरार हो गये । केस डायरी से यह भी प्रगट होता है कि मृतक शंकर गुहा नियोगी मजदूरों का एक प्रभावशाली नेता था एवं छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का अग्रणीय नेता भी था । घटना के पूर्व 12 माह से सम्मिलित आंदोलन मृतक के नेतृत्व में सिम्पलेक्स उद्योग संस्थान में चलाया जा रहा था एवं धरना देते हुए उक्त संस्थान में काम करने वाले मजदूरों को रोका भी जा रहा था, उक्त औद्योगिक संस्थान में आवेदक चन्द्रकांत शाह भी हिस्सेदार था, मृतक के नेतृत्व में चलाये जाने वाले आंदोलन से आवेदक के संस्थान को भारी क्षति उठानी पड़ रही थी । केस डायरी के अनुसार घटना के पूर्व आवेदक, सह अभियुक्त अवधेश राय, ज्ञान प्रकाश एवं फरारी अभियुक्त अभयसिंह उर्फ पल्टन से संपर्क स्थापित किया था और आवेदक नेपाल में सह अभियुक्त ज्ञान प्रकाश, अभयसिंह और अवधेश राय के साथ काठमांडू में मुलाकात किये थे और नेपाल में एक रायफल व अन्य आग्नेय अस्त्र क्रय किये थे । घटना के

(68)

बाद से ही आवेदक को फरार होना बताया जाता है एवं केस डायरी के अनुसार खोज करने के बाद भी वह उपलब्ध नहीं हो पाया । प्रकरण में अभी भी अनुसंधान आरंभिक अवस्था में है । अत: प्रथम दृष्टि में आवेदक के विरुद्ध गंभीर अपराध धारा 302 सह धारा 120 बी भारतीय दंड संहिता एवं 25 व 27 आर्म्स एक्ट के तहत प्रगट होता है । "ए•आई•आर•1985 सु•को• 969 फोवर राम बनाम म•प्र•रा• में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि किसी व्यक्ति का जीवन में स वगैरह का कोई विशेष महत्व अथवा सुसंगति जमानत आवेदन पर विचार करने पर होता है । सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार अग्रिम जमानत कुछ सीमा तक अपराध के अनुसंधान में अवरोध उत्पन्न करता है अत: इस पर सावधानी पूर्वक विचार किया ज चाहिये ।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत दृष्टांतो एवं तथ्यो की परिस्थिति मौजूदा प्रकरण से भिन्न है । "ए•आई•आर•1978 सु•को• 429 जी•नरसिम्हालु विरुद्ध पब्लिक प्रासिक्यूटर" के तथ्य भी भिन्न है । उक्त मामला धारा 436 एवं धा दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित जमानत आवेदनो से है । उक्त मामले में विचारण तय द्वारा अभियुक्तगण को दोषमुक्त कर दिया गया था, जो कि अपील होने प न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया । अभियुक्त गण विचारण के दौरान जम पूर्व से थे अत: उक्त प्रकरण के तथ्य भिन्न है । इसी प्रकार "ए•आई•आर•1977 2417 "जो कि आवेदक की ओर से पेश किया गया है भी धारा 436 एवं 437 प्रक्रिया संहिता से संबंधित है । " ए•आई•आर•1977 सु•को•366 बालचंद जैन मध्य प्रदेश शासन" डिफेन्स एंड इन्टरनल सिक्यूरिटी आफ इंडिया रूल्स के अपरा संबंधित है इस दृष्टांत में भी यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि 438 दंड प्रक्रिया संहिता को रेमेडी अर्थात नवीन एवं असाधारण रेमेडी होता उसका उपयोग सिर्फ विशेष मामले में ही किया जाना चाहिये । इसी प्रकार आ की ओर से प्रस्तुत दृष्टांत "ए•आई•आर•1980 सु•को•1632 गुरुबख्श सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य " में यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि धा 438 दंड प्रक्रिया संहिता का आदेश देते समय न्यायालय को अपने न्यायिक विवेक आधार पर ही निर्णय करना चाहिये कि प्रकरण के विशेष तथ्यो एवं परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए उक्त लाभ आवेदक को दिया जाना चाहिये या नहीं

69

...3.2.91

इस दृष्टांत के अनुसार न्यायालय अपनी न्यायिक विवेक का उपयोग करते हुए प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अग्रिम जमानत आवेदन को निरस्त करने के लिए स्वतंत्र रहती है । इस दृष्टांत के अनुसार अग्रिम जमानत व्यक्ति के स्वतंत्रता की रक्षा करने का एक माध्यम है परंतु इसका आशय यह नहीं कि उक्त प्रावधान का उपयोग अपराध कारित करने में पासपोर्ट के रूप में उपयोग किया जा सकता है । निर्णय के पैरा 35 के संबंधित अंश निम्न प्रकार से है :-

Anticipatory bail is a device to secure the individual's liberty, it is neither a passport to the commission of crimes nor a shield against any and all kinds of accusation, likely or unlikely.

इस दृष्टांत के अनुसार यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित किया गया है कि जमानत आवेदन पर विचार करने के समय प्रकरण के विशेष तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए किया जाना चाहिये ।

इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित सिद्धांतों एवं मामले/प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए और इस तथ्य को भी दृष्टिगत रखते हुए कि मौजूदा प्रकरण के संबंधित घटना के तत्काल बाद से आवेदक/अभियुक्त चन्द्रकांत साहू लगभग एक माह से पुलिस के पकड़ से बाहर है, प्रस्तुत जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 438 दं.प्र.सं. [illegible] निरस्त किया जाता है ।

आदेश की प्रतिलिपि केस डायरी में संलग्न कर केस डायरी संबंधित थाना के थाना प्रभारी को वापस किया जावे ।

प्र० ... सत्र न्यायाधीश

दुर्ग.